न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील/डिक्री/टीए/486/2010/उदयपुर

श्री देवा पिता काला जाति गरासिया, निवासी पलेसर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– क्षैत्रीय वन अधिकारी अरावली परियोजना वन विभाग कोटड़ा जिला उदयपुर।
2– उपवन संरक्षक, मध्य अरावली परियोजना उदयपुर।

रेस्पोंडेंटस

2. अपील/डिक्री/टीए/487/2010/उदयपुर

श्री भेरा पिता जाति गरासिया, निवासी पलेसर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– क्षैत्रीय वन अधिकारी अरावली परियोजना वन विभाग कोटड़ा जिला उदयपुर।
2– उपवन संरक्षक, मध्य अरावली परियोजना उदयपुर।

रेस्पोंडेंटस

3. अपील/डिक्री/टीए/488/2010/उदयपुर

1– श्री देवा पिता सोना
2– श्री थावरा पिता सोना
3– श्री धन्ना पिता सोना
4– श्री लाला पिता सकरा
5– श्री रामा पिता सकरा
6– श्री रोशन पिता रूपा
समस्त जाति गरासिया, निवासी पलेसर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– क्षैत्रीय वन अधिकारी अरावली परियोजना वन विभाग कोटड़ा जिला उदयपुर।
2– उपवन संरक्षक, मध्य अरावली परियोजना उदयपुर।

रेस्पोंडेंटस

4. अपील/डिक्री/टीए/489/2010/उदयपुर

1– श्री होमा
2– श्री काला
पिसरान काना जाति गरासिया, निवासी पलेसर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– क्षैत्रीय वन अधिकारी अरावली परियोजना वन विभाग कोटड़ा जिला उदयपुर।
2– उपवन संरक्षक, मध्य अरावली परियोजना उदयपुर।

रेस्पोंडेंटस

5. अपील/डिक्री/टीए/490/2010/उदयपुर

1– श्री हिन्दुरा
2– श्री थावरा
पुत्रान खुमा जाति गरासिया, निवासी पलेसर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– क्षैत्रीय वन अधिकारी अरावली परियोजना वन विभाग कोटड़ा जिला उदयपुर।
2– उपवन संरक्षक, मध्य अरावली परियोजना उदयपुर।

रेस्पोंडेंटस

6. अपील/डिक्री/टीए/491/2010/उदयपुर

1– श्री सकरा
2– श्री पुना
3– श्री विरमा
4– श्री काला
पुत्रान रामा जाति गरासिया, निवासी पलेसर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1– क्षैत्रीय वन अधिकारी अरावली परियोजना वन विभाग कोटड़ा जिला उदयपुर।
2– उपवन संरक्षक, मध्य अरावली परियोजना उदयपुर।

रेस्पोंडेंटस

खण्ड–पीठ
श्री सुबोध अग्रवाल , सदस्य
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री उत्तम प्रकाश आमेटा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री आर.के.गुप्ता, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

दिनांकः–22–02–2012

निर्णय

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत ये 6 अपीलें न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 34/2002 लगायत 39/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11–11–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सभी

अपीलों में आलोच्य आदेश एवं प्रकरण के तथ्य समान होने से एक ही आदेश से निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति सभी पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

2— अपील मेमो अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92—ए के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी कोटड़ा (परीक्षण न्यायालय) के समक्ष इन अभिवचनों के साथ पेश किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम पलेसर, पटवार हल्का लाम्बा हल्दु, तहसील कोटड़ा वर्तमान में वादीगण/अपीलार्थीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त्त आराजी पर प्रतिवादीगण/ प्रत्यर्थीगण खड्डे खुदवाकर वृक्षारोपण करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण/ प्रत्यर्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण/ अपीलार्थीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की बाधा या दखलन्दाजी न तो स्वयं करने और न ही किसी अन्य से करावे। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/ प्रत्यर्थीगण से जवाब दावा लेने और उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31—10—2008 द्वारा वादीगण/ अपीलार्थीगण का वाद केवल तनकी संख्या 4 को निर्णीत करते हुये इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित आराजी के सबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 8—10—99 को निर्णय पारित कर भूमि का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में प्रांगन्याय (Principal of resjudicata) का सिद्वान्त लागू होता है। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31—10—2008 के विरूद्ध वादी अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय

के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–11–2009 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को प्रांगन्याय (Principal of resjudicata) के सिद्वांत से बाधित मानते हुये खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर ये हस्तगत द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल में वादीगण/ अपीलार्थीगण द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई हैः–

(1) परीक्षण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि पूर्व न्याय (resjudicata) का प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होता है। अतः वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर बनयाी गयी सभी तनकियात का साथ साथ निर्णय किया जाना चाहिये था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी यह आपत्ति उठायी गयी थी किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया गया।

(2) न्याय के नैर्सगिक सिद्धांतों के प्रावधाननुसार मुख्य सचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में पक्षकारान को सुन कर ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। मुख्य सचिव ने बिना अपीलार्थीगण को सुने एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो प्रांगन्याय का सिद्वांत (Principle of resjudicata) एवं व्यवहार प्रक्रिया की धारा 1 के अधीन अंतिम निर्णय की परीभाषा में नहीं आता।

(3) मुख्य सचिव का कार्यालय न्यायालय नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा कानूनी परीक्षण करने के बाद ही निर्णय करना चाहिये था। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल दो विभागों के बीच का प्रकरण मान कर इसे मुख्य सचिव को विवाद निपटारे हेतु भेजा गया था। मुख्य सचिव द्वारा केवल दोनों विभागों को सुन कर तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मुआवजा निर्धारित कर दिया जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है।

(5) पूर्व में वन विभाग द्वारा प्रस्तुत संबंधित प्रकरणों के वाद मंडल स्तर तक खारिज किये जा चुके है। विवादित भूमि अपीलांट्स की खातेदारी में संवत् 2012 से अंकित चली आ रही है। इसे वन विभाग की भूमि किसी भी न्यायालय ने नहीं स्वीकारा है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण समस्त वाद बिन्दुओं पर पक्षकारान की शहादत/सबूत लेकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

4— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

5— अपीलार्थीगण की तरफ से विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों एवं आधारों को दोहराते हुये अभिकथन किया गया है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का सुमचित अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 08—10—1999 पारित किया गया है। ऐसे आदेश को अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अधिनियम, 1955 की धारा 188, 92ए के वाद में अपीलार्थीगण के विरुद्ध पूर्वन्याय के सिद्धान्त का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह भी तर्क किया गया है कि मुख्य सचिव का कार्यालय कोई न्यायालय नहीं है, अतः मुख्य सचिव द्वारा पारित कोई भी आदेश किसी न्यायालय में प्रस्तुत वाद

में पूर्व न्याय के सिद्वान्त का आधार नहीं बन सकता है। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2010 (1) RRT 89 से समर्थन लेते हुये यह भी तर्क किया गया है कि पूर्व न्याय का सिद्वान्त (Principle of resjudicata) तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न होने से उसका निर्णय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही किया जाना चाहिये। विद्वान अभिभाषक द्वारा 1990 RRD 200 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुये तर्क किया गया है कि पूर्व न्याय का सिद्वान्त (Principle of resjudicata) के आधार पर पश्चातवर्ती वाद को वर्जित करने से पूर्व यह देख लेना चाहिये कि पक्षकारान के मध्य व्याप्त विवाद का निस्तारण पूर्व वाद में अन्तिम रुप से सुना जा कर निस्तारित किया जा चुका है।

6— जवाबी बहस में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मुख्य सचिव द्वारा की गयी सुनवाई और पारित आदेश दिनांक 08—10—1999 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12—07—1999 के अनुसरण में है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव को भेजते हुये यह भी निर्देश दिये हैं कि मुख्य सचिव द्वारा पारित निर्णय अन्तिम होगा। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के दावे को पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर खारिज करना सही है।

7— बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजात व आलोच्य आदेश दिनांक 11—11—1999 एवं परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 31—10—2008 का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— यह सर्वथा स्वीकृत तथ्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12—07—1999 की पालना में मुख्य सचिव द्वारा प्रभावित काश्तकारों को अर्थात वादीगण/ अपीलार्थीगण को नहीं सुना गया था। किसी भी व्यक्ति को सुने बिना किसी प्रकरण में पारित आदेश को उस व्यक्ति के हितों के विरुद्ध पढा जाना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। परीक्षण न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 08—10—1999 को वादीगण/ अपीलार्थीगण के वर्तमान दावों— जो कि अभिलिखित खातेदारों द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 188, 92ए के अन्तर्गत वास्ते निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये गये हैं— में पूर्व न्याय के सिद्धान्त को आधार बनाया है। पूर्व न्याय के सिद्धान्त हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 का अवलोकन उचित है, जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***11. Res judicata.*** *No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.*

उपरोक्त धारा 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व न्याय के सिद्धान्त के अनिवार्य घटक निम्न प्रकार हैंः—

1. पूर्व वाद और पश्चातवर्ती वाद में वादग्रस्त विषयवस्तु और वादग्रस्त पक्षकारान समान होने चाहिये।
2. पूर्व वाद का निर्णय ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया हो जो कि पश्चातवर्ती वाद की सुनवाई व निर्णय हेतु सक्षम हो।
3. पश्चातवर्ती वाद में निहित सारभूत बिन्दु को पूर्ववर्ती वाद में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये अन्तिम रुप से निर्णीत कर दिया गया हो।

उपरोक्त बिन्दुओं का विनिश्चयन पक्षकारान को साक्ष्य का अवसर दिये बिना किया जाना उचित नहीं है। विवाद का मुख्य बिन्दु अथवा

विषयवस्तु की समानता के अलावा यह भी देखा जाना होता है कि पूर्व के जिस निर्णय को आधार बना कर अपीलार्थीगण का वर्तमान दावा खारिज किया गया है, उक्त पूर्व निर्णय किसके द्वारा पारित किया गया है और क्या पूर्व निर्णय पारित करने वाला अधिकारी/ न्यायालय वर्तमान दावा को निर्णीत करने हेतु सक्षम है। इसके अलावा यह भी विनिश्चयन किया जाना आवश्यक है कि पूर्व न्यायालय/ अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करते समय, जिसके आधार पर पूर्वन्याय का सिद्धान्त लागू किया जा रहा है, वह निर्णय क्या पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा कर पारित किया गया था। हम 2010 RRT (1) 89 में अभिनिर्धारित न्यायिक सिद्धान्त से सहमत हैं जिसमें मण्डल की ही विद्वान खण्ड पीठ द्वारा 2004 RBJ 275 और 2002 RRD 428 का अनुसरण करते हुये यह प्रतिपादित किया गया है कि रेसज्यूडिकेटा से सम्बन्धित विवाद्यक को निर्णीत करने से पूर्व पक्षकारों से साक्ष्य लिये जाने चाहिये। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु तथ्य एवं विधि– दोनों से सम्बन्धित हो सकता है, अतः पक्षकारान को साक्ष्य का अवसर दे कर ही निर्णय किया जाना चाहिये था। 1990 RRD 200 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> *"For finding out as to whether a particular matter was raised between the parties, heard and finally decided in the previous suit, the Court should look into the judgment and the pleadings in the previous suit. As the plea of resjudicata is one in bar of legal right, it should be given effect to only on a strict construction of the pleadings and decision in the previous suit. In order to render a prior decision conclusive in a subsequent suit, it must appear from the record of the former suit that the particular matter sought to be concluded was necessarily determined."*

9— हस्तगत प्रकरण में मुख्य सचिव द्वारा निर्णय पारित करते समय वादीगण/ अपीलार्थीगण को, जो कि वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में यह भी विनिश्चयन किया जाना आवश्यक है कि मुख्य सचिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 08—10—1999 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार पूर्व न्याय के सिद्धान्त के घटक पूरे करता है या नहीं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आलोच्य निर्णय दिनांक 11—11—2009 पारित करते समय इस विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया गया है।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 11—11—2009 एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31—10—2008 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रकरण इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त पेरा 8 व 9 में व्यक्त मत (observations) की रोशनी मे पुनः निर्णय हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 11—11—2009 एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31—10—2008 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये प्रकरण इस न्यायालय के द्वारा व्यक्त मत को ध्यान में रखते हुये पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुणावुगण पर नवीनतः निर्णय हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

(सुबोध अग्रवाल)
सदस्य